IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बच्चों की निषुल्क व अनिवार्य षिक्षा के प्रति अभिभावकों व षिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

पर्यवेक्षक

डॉ. षिप्रा गुप्ता

रीडर

प्रस्तुतकर्त्री

अन्जली चौहान

एम.एड (छात्रा)

सारांष :– षिक्षा प्रकाष का वह स्त्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा पथ प्रदर्षन करती है, इससे बुद्धि, विवेक तथा निपुणता में वृद्धि होती है, षिक्षा मनुष्य का तीसरा नेत्र है, षिक्षा के महत्व को देखते हुए वर्ष 2009 में पारित (निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का अधिकार अधिनियम) में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा की बात की गयी है, निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा की सहायता से बालक बालिका को समान रूप से षिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, इससे हमारा देष षिक्षित और विकसित बनेगा, इस योजना की सहायता से षिक्षा की नीवं को मजबूत किया जा सकेगा।

मुख्य षब्द : निःषुल्क षिक्षा, अनिवार्य षिक्षा, षिक्षक, अभिभावक, अभिवृत्ति आदि।

1. **प्रस्तावना :** हमारा संविधान विकास के समान अवसर की गारण्टी देता है, अतः यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि आजीविका की दौड़ में राष्ट्रके सभी बच्चों को चाहे व धनी परिवार के हा या निर्धन परिवार के समान अवसर दिए जाएं। स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक षिक्षा के विस्तार के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास प्रषंसनीय है, इसी क्रम में निःषुल्क

व अनिवार्य षिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 भी एक सरकार द्वारा किये गये प्रयासों में से एक प्रषंसनीय प्रयास है।

1 अप्रैल 2020 को निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा अधिनियम, 2009 जम्मू व कष्मीर को छोड़कर सारे देष में लागू कर दिया गया, यह अधिनियम छः से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रावधानों एवं उन प्रावधानों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण करता है, इस अधिनियम के लागू होने के बाद 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चें के लिए षिक्षा को अधिकार, तथा इसके प्रति अभिभावक व षिक्षकों की अभिवृत्ति का भी विषेष महत्त्व है।

2. षोध अध्ययन में प्रयुक्त तकनीकी षब्द :

1. **निःषुल्क षिक्षा :–** ऐसी षिक्षा व्यवस्था हो जहाँ पर बच्चों से किसी प्रकार का षुल्क या पुंजी गहण न की जावे वह निःषुल्क षिक्षा है।
2. **अनिवार्य षिक्षा :–** ऐसी षिक्षा प्रणाली जिसमें माता–पिता का यह दायित्व हो कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से षिक्षा दिलाने के लिए षाला में नामांकित कक्षायें एवं षाला में षिक्षक उन तत्वों की जिम्मेदारी में षिक्षा प्रदान करें एवं बालक षिक्षा पूर्व किये बिना कारण अध्ययन न रोंके।
3. **अभिभावक :–** बालक के संरक्षण जो बालक का हर प्रकार से निर्वहन करते है।
4. **षिक्षक :–** राष्ट्र के निर्माणकर्ता षिक्षण प्रक्रिया का आधारस्तम्भ तथा षिक्षण व्यवस्था की धुरी षिक्षक कहलाते है।
5. **अभिवृत्ति :–** मन की यह विषेष प्रकृति वृति जो किसी व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति संस्था या विचार के प्रति हमारे आचरण का स्वरूप निर्धारित करती है, जिसके कारण हम इन वस्तुओं के प्रति अपनी कोई विषेष धारण या विचार बना लेते है, अभिवृत्ति कहलाती है।

3. षैक्षिक संतुष्टि :– स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने देष में षिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ, वर्तमान में षिक्षा का स्वरूप क्षेत्र ही बदलता जा रहा है, आज षहरों एवं कस्बों में षिक्षा का व्यवसायीकरण तेजी से हो रहा है।

देश में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2020 तक की संतोषजनक निःषुल्क और गुणवत्ता परक प्राथमिक षिक्षा उपलब्ध करने के अहम् उद्देष्य को लेकर वर्ष 2001–02 से संचालित कर दिया गया था –

षिक्षा के अधिकार 2002 को 86 वें संविधान के तहत् मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्रम 2008 ई. में भारत सरकार ने ''निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा बिल 2008–09 पारित किया गया था।''

''अर्जुन सिंह – षिक्षा की ऐसी व्यवस्था जहाँ पर ज्ञान के बदले बच्चों से षुल्क न लिया जाये वह निःषुल्क षिक्षा होगी।''

''महात्मा गांधी :– बालक जो अबोध है उसे व्यवहार का ज्ञान प्रदानकर्ता अपने श्रम के बदले बालक या माता–पिता मे कुछ प्रतिफल ग्रहण न करे वह निःषुल्क षिक्षा है।''

''गोपालकृष्ण गोखले :– अनिवार्य षिक्षा वह व्यवस्था है जिसमें माता–पिता के पास अपने बच्चों को निष्चित रूप में षिक्षा की व्यवस्था करनी होती है।''

4. षोध के उद्देष्य :–

1. बच्चों की निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. बच्चों की निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा के अधिकार के प्रति षिक्षकों की अभिवृति का अध्ययन करना।
3. निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा का बालक व बालिकाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।

5. षोध परिकल्पना :–

1. बच्चों की निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
2. बच्चों की निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा के प्रति षिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
3. निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा को बालक व बालिकाओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

6. षोध विधि :–

प्रस्तुत षोध अध्ययन के लिए सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया।

7. षोध सीमांकन

1. षोध कार्य जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विघालयों के 25 षिक्षकों (अध्यापक व अध्यापिकाओं) तथा 25 अभिभावकों (पुरूष व महिला) को चुना गया।
2. षोध अध्ययन में 100 न्यादर्ष को लिय गया।

8. षोध न्यादर्ष :–

1. प्रस्तुत षोध में 100 षिक्षकों व अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया।
2. 50 षिक्षक व 50 अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया।

9. षोध उपकरण :–

प्रस्तुत षोध में स्वनिर्मित उपकरण (प्रष्नावली मापनी) का प्रयोग किया गया।

10. सांख्यिकीय प्रविधियाँ :

षोध कार्य में विष्वसनीय परिणाम करने हेतु उच्च एवं विष्वसनीय सांख्यिकीय प्रविधि के रूप में मध्यमान, मानक विचलन तथा टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

11. आकड़ों का सारणीयन व विष्लेषण :

तालिका :– 1 बच्चों की निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

क्र.स	समूह	न्यादर्ष	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी मूल्य	सार्थकता का स्तर पर
1.	महिला अभिभावक	25	11.66	1.80	0.77	स्वीकृत
2.	पुरूष अभिभावक	25	11.38	1.28		

तालिका :– 2 बच्चों की निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा के प्रति षिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

क्र.स	समूह	न्यादर्ष	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी मूल्य	सार्थकता का स्तर पर
1.	महिला षिक्षक	25	11.89	1.31	1.43	स्वीकृत
2.	पुरूष षिक्षक	25	11.32	1.18		

तालिका :– 3 निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा को बालक व बालिकाओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

क्र.स	समूह	न्यादर्ष	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी मूल्य	सार्थकता का स्तर पर
1.	बालक	25	11.48	2.24	0.63	स्वीकृत
2.	बालिकाएँ	25	11.44	2.15		

12. परिणामों की विवेचना :–

तालिका 1 :– बच्चों की निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। षोधकर्त्री द्वारा निर्मित यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है, उपरोक्त तालिका में दोनों समूहों के मध्यमान क्रमषः 11.66 व 11.38 में यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर पर निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

तालिका 2 :– बच्चों की निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा के प्रति षिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। षोधकर्त्री द्वारा निर्मित यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है, उपरोक्त तालिका में दोनों समूहों के मध्यमान क्रमषः 11.89 व 11.32 में यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर पर निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा के प्रति षिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

तालिका 3 :– बच्चों की निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा का बालक व बालिकाओं पर पडने वाले प्रभाव का कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। षोधकर्त्री द्वारा निर्मित यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है, उपरोक्त तालिका में दोनों समूहों के मध्यमान क्रमषः 11.48 व 11.44 में यह स्पष्ट होता है कि बच्चों की निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षा का बालक व बालिकाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

13. षोध निष्कर्ष :– अतः यह स्पष्ट होता है कि बच्चों की निःषुल्क व अनिवार्य षिक्षाके प्रति अभिभावकों व षिक्षकों की अभिवृत्ति संतोषजनक है। इस योजना की जागरूकता के कारण विघालयों में नामांकन संस्था बढ़ने में सहायता प्राप्त होगी।

14. सुझाव :

इस क्षेत्र में भावी अनुसंधान हेतु निम्नांकित सुझाव दिये जाते है जिसके आधार पर भविष्य में षोध संभव हो सकता है।

1. प्रस्तुत षोध अध्ययन को बड़ा न्यादर्ष लेकर जयपुर जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी प्रकाषित किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत षोध अलग–अलग विषय अध्यापकों पर किया जा सकता है।
3. प्रस्तुत षोध षहरी व ग्रामीण दोनो क्षेत्रों पर किया जा सकता है।
4. प्रस्तुत षोध छात्र अध्यापक व छात्र अध्यापिकाओं पर किया जा सकता है।

15. संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

- https://ctetnotes.com/nishulk-evn-anivarya-shiksha-adhikar-adhiniyam-2009-me-vidyalay-ke-lie-tay-moapodand.
- www/shodhganga.com